18/11/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible]। उभय पक्ष उप. वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिग्री पृथक से पारित टाइप करवाई जाकर। संलग्न पत्रावली की पत्रावली फैसल शुमार होकर नाजर से जमा हो।
	(हस्ताक्षर)
	(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल आर.ए.एस
प्रकरण संख्या : 71/2021 (2021/244)

अनवान

1. उदयराम पिता मूलचंद धाकड नि.माताजी की ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
2. किशनलाल पिता मूलचंद धाकड नि.माताजी की ओरडी तह. व जिला चित्तौडगढ
3. शंभूलाल पिता नानूराम धाकड नि.माताजी की ओरडी तह. व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. राजाराम पिता डाडमचंद जाट नि.केसरपुरा तह. व जिला चित्तौडगढ
2. पृथ्वीराज पिता डाडमचंद जाट नि.केसरपुरा तह. व जिला चित्तौडगढ
3. धनराज पिता डाडमचंद जाट नि.केसरपुरा तह. व जिला चित्तौडगढ
4. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 183—188—209 आर.टी.ए.
उपस्थिति : श्री बगदीराम धाकड अधिवक्ता वादीगण
श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय **दिनांक 18.11.2024**

वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 183—188—209 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ग्राम गिलुण्ड पटवार हल्का गिलुण्ड तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 203 मे वर्णित आराजीयात 4220/66 रकबा 0.07 हे. एंव खाता संख्या 812 मे वर्णित आराजीयात 761 , 762 , 764, 765, 769 कुल कीता 05 कुल रकबा 2.38 हे. कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजीयात मे वर्णित आराजी नम्बर 769 रकबा 0.48 हे. वादीगण के खातेदारी व स्वामित्व की कृषि आराजीयात है उक्त आराजी के दक्षिण दिशा मे बिलानाम सरकारी जमीन आराजी नम्बर 774 स्थित है। जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। बिलानाम सरकारी आराजी नम्बर 774 के साथ ही वादीगण की निजी खातेदारी की आराजी नम्बर 769 में भी करीब आधा बीघा जमीन पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया है। वादीगण द्वारा नाजायज कब्जे को हटाने की कहने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडे पर आमादा होते है। पूर्व मे भी प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त आराजीयात को लेकर नाजायज विवाद किया जिस पर वादीगण द्वारा पत्थरगढी करवाई गई । पूर्व के पत्थरगढी के आदेश व पर्चा मौके की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। वर्तमान मे वादीगण द्वारा पुनः पत्थरगढी करवाई जिसके प्रकरण संख्या 231/2016 तथा दिनांक 27.05.2016 को माननीय न्यायालय द्वारा पत्थरगढी का आदेश फरवाया गया । उक्त पत्थरगढी आदेश की पालना मे विधिवत नपती की

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गई तथा पत्थर रोपे गए जिसमे वादीगण की करीब आधा बीघा जमीन पर प्रतिवादीगण का अवैध नाजायज कब्जा पाया गया । वादीगण की आराजी नम्बर 769 की दक्षिणी दिशा वाली करीब आधा बीघा जमीन पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध बिना हक अधिकार से जबरन अपनी ताकत के बल पर अवैध रूप से वादीगण की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है । दिनांक 27.05.2021 को भी मौके पर झगडा कर गाली गलोच की और जमीन से कब्जा नहीं छोडने की बात कहने से वाद लगातार जारी है। अन्त मे पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण ग्राम गिलुण्ड आराजी नम्बर 769 की दक्षिणी दिशा वाली करीब आधा बीघा जमीन पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण (कब्जे) को हटाया जाकर वादीगण को सिपूर्द करावे एंव कब्जा सिपूर्द करने के बाद वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे ना किसी अन्य सदस्य नौकर एजेन्ट से करावे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की डिक्री प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किये गय। प्रतिवादीगण 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 21.03.2022 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी 1 की ओर से अधिवक्ता छोगालाल जाट ने उपस्थिति दी । जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नही करने से दिनांक 08.02.2023 को प्रतिवादी 1 का जवाब का अवसर बंद किए जाने के आदेश दिए गए। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का खण्डन प्रस्तुत नही करने से वाद बिन्दू कायम नही किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे पर्चा मौका पत्थरगढी 29.07.2020 प्रदर्श–1 , पर्चा मौके के साथ नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 , नकल जमाबन्दी 2067–70 खाता संख्या 812 प्रदर्श–3 प्रदर्शित करवाए तथा मौखिक साक्ष्य मे बयान शपथ पत्र स्वंय वादी pw1 उदयराम प्रस्तुत कर बयान करवाए गए अधिवक्ता प्रतिवादी 1 द्वारा जिरह की गई , pw2 शंभूलाल के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किए बयान हेतु उपस्थित नही हुए। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन / अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खाता संख्या 812 प्रदर्श –3 अनुसार ग्राम गिलुण्ड की आराजी संख्या 769 रकबा 0.48 हे. वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–1 पर्चा मौका ग्राम गिलुण्ड दिनांक 27.07.2020 से आराजी न. 769 की दक्षिण दिशा की भूमि पर 0.07 हे. भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा उल्लेखित है। वादी का वाद पत्र प्रस्तुत दस्तावेजी शहादत सबूत से प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चित्तौडगढ को आदेश दिए जाते है कि वादी की ग्राम गिलुण्ड स्थित आराजी संख्या 769 रकबा 0.48 हे. की दक्षिणी दिशा की भूमि पर 0.07 हे. पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गये अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पांबद किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से वाली आराजीयात मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे ना किसी अन्य सदस्य से करावे।

निर्णय टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

AnyScanner

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री **बीनू देवल** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1. उदयराम पिता मूलचंद धाकड नि.माताजी की ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
2. किशनलाल पिता मूलचंद धाकड नि.माताजी की ओरडी तह. व जिला चित्तौडगढ
3. शंभूलाल पिता नानूराम धाकड नि.माताजी की ओरडी तह. व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. राजाराम पिता डाडमचंद जाट नि.केसरपुरा तह. व जिला चित्तौडगढ
2. पृथ्वीराज पिता डाडमचंद जाट नि.केसरपुरा तह. व जिला चित्तौडगढ
3. धनराज पिता डाडमचंद जाट नि.केसरपुरा तह. व जिला चित्तौडगढ
4. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 183—188—209 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्या : 71/2021 (2021/244)

वादी की ओर से वकील श्री बगदीराम धाकड की, और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री छोगालाल जाट की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चित्तौडगढ को आदेश दिए जाते है कि वादी की ग्राम गिलुण्ड स्थित आराजी संख्या 769 रकबा 0.48 हे. की दक्षिणी दिशा की भूमि पर 0.07 हे. पर प्रतिवादीगण द्वारा किए गये अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पांबद किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से वाली आराजीयात मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे ना किसी अन्य सदस्य से करावे।

इस वाद के खर्च — प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा — को दी जावे। यह आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)